

II/निम्न/सतना/2018/02131
(289)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट सेवा म0प्र0



ललुआ पिता दीनदयाल मुडहा साकिम ककलपुर तहसील अमरपाटन जिला
सतना म0प्र0आवेदक

बनाम
27-3-18

कनक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) सेवा

1. कच्छेदी पिता लल्ली मुडहा
2. घुरिया पिता लल्ली मुडहा
3. श्रामकली पत्नी स्व0 बाबूलाल मुडहा
4. मुन्नालाल पिता बाबूलाल मुडहा
5. उर्मिला पुत्री बाबूलाल मुडहा
6. श्यामकली पत्नी सुखई मुडहा
7. श्रामविश्वास पिता स्व0 सुखई मडहा
8. नथुआ पिता स्व0 सुखई मुहहा
9. कोदया पिता स्व0 सुखई मुहहा

सभी निवासी ग्राम ककलपुर तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

.....अनावेदकगण

माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय
अमरपाटन जिला सतना के राजस्व प्रकरण
क्रमांक 65अपील /16-17 आर.सी.एम.एस.
0061 अपील 2016-17 आदेश दिनांक
23/12/2017 के विरुद्ध निगरानी अंतर्गत
धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई.

दिनांक
(27/3/18)


M

(289)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक 18/12/18/23/2018 जिला-सतना

विरोध ललता मुंडह

(1)	(2)	(3)
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>शुशी पांडेय</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील <u>अभयपुर</u> के प्रकरण क्रमांक <u>65/अपील/16-17</u> में पारित आदेश दिनांक <u>23/12/17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। M0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला <u>सतना</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>27-12-18</u> को कलेक्टर <u>सतना</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	